संख्या : 38/2015-819/छप्पन-2015-42/2008

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 21 मई, 2015

विषय :जनपद कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जाना एवं इस कार्य हेतु कार्यदायी संस्था का चयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 182/ए0एस0-19-84/2015, दिनांक 15-5-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि पर्यटन के क्षेत्र में विकास हेतु कुशीनगर में एक अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की आवश्यकता है। पूर्व में एयरपोर्ट निर्माण का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा कराया जा रहा था। प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन विभाग के पक्ष में उपलब्ध कुल 584.65 एकड़ भूमि के अधिग्रहण/क्रय/कब्जे की कार्यवाही माह मार्च, 2010 से अप्रैल, 2011 के मध्य सम्पन्न की गई है। भूमि अधिग्रहण/पुनरूद्धार एवं पुनर्वास अधिनियम-2013 के नियम 101 के परिप्रेक्ष्य में अधिग्रहीत भूमि का उपयोग अप्रैल, 2016 से पूर्व प्रारम्भ किया जाना है अन्यथा अर्जित भूमि मूल भू-स्वामियों को वापस करनी पड़ेगी। अतः मौके पर निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ कराये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु श्रेयस्कर होगा कि परियोजना को समानान्तर रूप से Short Term और Long Term उपायों के रूप में विभाजित करते हुए निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करा दिया जाए। Short Term उपाय के रूप में वे निर्माण कार्य चिन्हित किये जाएँ जिन्हें चयनित स्थल पर न्यूनतम आवश्यक कार्य के रूप में तत्काल प्रारम्भ किया जा सके तथा Long Term उपायों के रूप में उन कार्यों को चिन्हित किया जाना समीचीन होगा जिनके सम्पादन में प्रक्रियात्मक कारणों से अधिक समय लगना संभावित हैं। यह भी अवगत कराया गया है कि पर्यटन विभाग के शासनादेश संख्या- 1049/41-15-138-सा0/2015, दिनांक 7-5-2015 द्वारा जनपद कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण से सम्बन्धित परियोजना का क्रियान्वयन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सहयोग से कराये जाने हेतु नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 को नोडल विभाग नामित किया गया है।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 15-5-2015 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश दिनांक 7-5-2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल जनपद कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण हेतु Short Term उपाय के रूप में चिन्हित रनवे, अप्रन, टैक्सी-वे, आइसोलेशन-बे, रनवे लाइटिंग एवं ए0टी0सी0 आदि के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में भारत सरकार के उपक्रम राइट्स लिमिटेड को नामित किये जाने तथा कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माण के सम्बन्ध में यथावश्यक बिन्दुओं पर भविष्य में तात्कालिक रूप से निर्णय लेने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 38/2015-819(1)//छप्पन-2015-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
3- जिलाधिकारी, कुशीनगर।
4- राइट्स लिमिटेड, गुडगॉव, हरियाणा।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।